:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– धीरेन्द्र सिंह

मूकदमा नम्बरः– 6/21 राजस्व वाद

1. श्री धुला पिता सोमा मीणा तहसील चिखली जिला डूँगरपुर राज

वादी

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार चिखली जिला डूँगरपुर

प्रतिवादी

:: निर्णय :: दिनांक 24/02/2021

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि–

प्रार्थी श्री धुला पुत्र सोमा वगैरा निवासी साकोदरा के नाम से वर्तमान जमाबंदी संवत 2075–2078 के खाता संख्या नया 153 के अनुसार मौजा साकोदरा तहसील चिखली में खसरा संख्या 714/1 रकबा 0.1618 है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार गलत होकर 414/1 दर्ज हो गया है।

यह कि जमाबंदी संवत् 2022, 2026 से 2029 में खाता संख्या पुराना 80, नया 84 पर दर्ज खातेदार सोमा पिता थावरा मीणा सा. देह खातेदार दर्ज होकर खसरा नम्बर 714/1 दर्ज है। किन्तु जमाबन्दी संवत् 2030 से 2033 के खाता संख्या पुराना 84 एवं नया 119 पर दर्ज खातेदार सोमा पिता थावरा मीणा सा. देह खातेदार दर्ज होकर खसरा नम्बर 414/1 दर्ज है।

यह कि प्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेज संलग्न किये गये है–

1. पुरानी जमाबन्दी सम्वत् 2026 से 2029 की नकल जिसमें सोमा वल्द थावरा मीणा के नाम से खसरा नम्बर 714/1 दर्ज है।
2. जमाबंदी सम्वत् 2030 से 2033 की नकल जिसमें सोमा वल्द थावरा मीणा के नाम से खसरा नम्बर 414/1 दर्ज है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली दिनांक 27.01.2021 को दर्ज होकर प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार चिखली का सम्मन भेज कर तामिल कराई गई। प्रतिवादी की ओर से राजकीय पैरोपकार द्वारा दिनांक 24.02.2021 को दस्तावेज पेश किये गये जिसमें निम्न दस्तावेज संलग्न है–

1. पटवार हल्का साकोदरा एवं भू.अ. निरीक्षक वृत चखली की रिपोर्ट एवं निरीक्षण में जमाबंदी संवत् 2022, 2026 से 2029 एवं 2030 से 2033 तक।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार चिखली से प्राप्त रिकॉर्ड के आधार पर अवलोकन पश्चात् यह पाया कि जमाबंदी संवत् 2022 एवं 2026 से 2029 में खाता संख्या नया 84 पर दर्ज खातेदार सोमा पिता थावरा मीणा सा. देह खातेदार दर्ज होकर खसरा नम्बर 714/1 दर्ज है। किन्तु जमाबंदी संवत् 2030 से 2033 के खाता संख्या नया 119 पर दर्ज खातेदार सोमा पिता थावरा मीणा सा. देह खातेदार दर्ज होकर लिपिकिय

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2021.04.26 10:26:33 IST
Reason: SelfAttested

त्रुटि वंश गलत दर्ज होकर 414/1 दर्ज हो गया है जिसे शुद्ध करना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि–

–:आदेश:–

मौजा साकोदरा में वर्तमान जमाबंदी संवत 2075–2078 में खाता संख्या नया 153, पर दर्ज खातेदार धुला पिता सोमा मीणा सा. देह खातेदार दर्ज होकर खसरा संख्या 414/1 रकबा 0.1618 है0 जिसमें खसरा संख्या 414/1 के स्थान पर 714/1 दर्ज कीया जावें।

आज दिनांक 24/02/2021. को उक्त निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

(धीरेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2021.04.26 10:26:33 IST
Reason: SelfAttested